प्रेस नोट

जनपद हमीरपुर **दिनांक 02.07.2024**

अभियुक्तगण के विरुद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की गई

पुलिस अधीक्षक महोदया हमीरपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही/प्रभावी पैरवी के क्रम में मा0 न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर द्वारा जनपद के थाना सुमेरपुर से सम्बन्धित गुण्डा अपराधी को जनपद हमीरपुर की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित/जिलाबदर किया गया है। पारित आदेश में आदेशित किया गया है कि जिलाबदर की अवधि में निष्कासित/जिलाबदर अपराधीगण अपने साथ किसी प्रकार का शस्त्र व अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेंगे एवं 06 माह की अवधि तक जनपद हमीरपुर की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे तथा बाह्य जनपद में जिस स्थान पर निवास करेंगे उसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय एवं स्थानीय पुलिस को भी देंगे।

जिलाबदर किये गये अपराधीयों का विवरण:-

क्र0 सं0	थाना	गुण्डा अपराधी का नाम	जिलाबदर का दिनांक	अवधि
1.	थाना सुमेरपुर	राकेश वर्मा पुत्र रामा निवासी ग्राम कुण्डौरा थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर	25.06.2024	06 माह
2.	थाना सुमेरपुर	सूरजबली पुत्र गोला निवासी ग्राम इंगोहटा थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर	25.06.2024	06 माह
3.	थाना सुमेरपुर	सुभाष पुत्र सूरजबली निवासी ग्राम इंगोहटा थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर	25.06.2024	06 माह